न्यायालय जिला कलक्टर, चूरू

पीठासीन अधिकारी – सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस., जिला कलक्टर, चूरू (राजस्थान)

प्रार्थना–पत्र (6ए) संख्या 22 सन् 2021 निर्णय दिनांक 03.03.2022

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, चूरू

– प्रार्थी

बनाम

महेन्द्र पुत्र केशरदेव जाट निवासी किशनपुरा जिला सीकर

– अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित :–

पैरोकार सरकार प्रवर्तन निरीक्षक, चूरू

–:: निर्णय ::–

थानाधिकारी पुलिस थाना, राजगढ़ की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांकित 16.12.2021 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के अनुसार दिनांक 26.05.2021 को अवैध डीजल की बिक्री की सूचना पर संयुक्त जांच दल होटल अपना एन.एच. 52 रोही लुटाणा पर पहुंचा। जांच पर एक टैंकर नं. जीजे 12 जेड 4144 जिसमें करीब 20,000 लीटर अवैध मिलावटी डीजल भरा हुआ पाया गया। टैंकर चालक महेन्द्र पुत्र केशरदेव जाति जाट निवासी किशनपुरा जिला सीकर को अवैध डीजल के बारे में मालुमात किया तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया। ट्रक चालक से पुनः पूछा गया तो ट्रक चालक ने मिलावटी डीजल होना बताया व राजस्थान में एन. एच. 52 पर आने–जाने वाले ट्रक चालकों को राजस्थान में डीजल के भाव से कम भाव में बेचना बताया। प्रमाणित पाया जाने पर ट्रक चालक महेन्द्र के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। चूंकि जब्तशुदा 20,000 लीटर डीजल ज्वलनशील प्रकृति का है, अतः इसका अन्तरिम निस्तारण के समुचित आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी की तलबी की जरिये सम्मन की गई। जिस पर अप्रार्थी स्वयं हाजिर आया तथा प्रकरण में अंतरिम निस्तारण किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

सरकारी पैरोकार प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का उल्लेख करते हुए बहस में कहा कि उक्त प्रकरण में संयुक्त जाँच दल द्वारा कार्यवाही की गई है। मौके पर अप्रार्थी द्वारा किसी तरह के कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। क्योंकि प्रकरण में फर्द मौका, फर्द जब्ती, फर्द

जिला कलेक्टर
चूरू

सुपुर्दगी आदि अप्रार्थी की उपस्थिति में ही बनाई गई है। सरकारी पैरोकार को यह भी तर्क दिया कि उक्त प्रकरण में अप्रार्थी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही की जा रही है, जिसमें अंतिम निर्णय होना शेष है। अप्रार्थी के कब्जे से जब्त किया गया डीजल 20,000 लीटर है जो डीजल भण्डारण के संबंध में भी किसी तरह का कोई प्राधिकार–पत्र अप्रार्थी द्वारा उक्त फर्द जब्ती के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए जब्तशुदा डीजल अन्तिम निर्णय से पूर्व इनका अन्तरिम निस्तारण किए जाने के आदेश पारित किया जाए।

सरकारी पैरोकार की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि चूंकि प्रकरण में अप्रार्थी के विरुद्ध थाना राजगढ़ में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा दिनांक 26.05.2021 को अप्रार्थी की उपस्थिति में जब्ती की कार्यवाही की गई है। इसी प्रकार सरकारी पैरोकार के अनुसार प्रकरण में अप्रार्थी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दर्ज प्रकरण में सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की गई है। अप्रार्थी ने भी अंतरिम निस्तारण किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं की है। ऐसी स्थिति में जब्तशुदा डीजल के उड़नशील व ज्वलनशील प्रकृति का होने के कारण अन्तरिम निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर थानाधिकारी पुलिस थाना राजगढ़ की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.12.2021 जिसमें जब्त शुदा डीजल के ज्वलनशील व उड़नशील होने के कारण अन्तरिम निस्तारण किये जाने का अनुरोध किया गया है, को स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा 20,000 लीटर डीजल के अन्तरित निस्तारण (Interim Disposal) हेतु जिला रसद अधिकारी, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2) के अन्तर्गत प्रकरण में जब्तशुदा 20,000 लीटर डीजल को नजदीकी पेट्रोल पम्प पर नियमानुसार विक्रय किया जाकर, विक्रय से प्राप्त राशि अमानतन राजकोष में जमा करवायी जाए।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर,
चूरू जिला कलेक्टर